

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश सं०-०५/स्था०(आरोप)-०८/२०१४...../परि०

पटना, दिनांक.....

आदेश

जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 107 दिनांक 22.01.2014 से प्राप्त सूचना अनुसार लखीसराय थाना कांड सं. 28/2014 दिनांक 13.01.2014 में श्री सुनील कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार, शेखपुरा को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के फलस्वरूप लखीसराय एवं शेखपुरा अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन हेतु निम्नांकित मोटरयान निरीक्षकों को अपने कार्यों के अतिरिक्त पदस्थापित किया जाता है-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	अतिरिक्त जिला
1	2	3	4
1	श्री संजीव कुमार सिंह	मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर	लखीसराय
2	श्री संजय कुमार	मोटरयान निरीक्षक, जमुई, सम्प्रति प्रतिनियुक्त मोटरयान निरीक्षक, महात्मा गांधी चेक पोस्ट, वैशाली (हाजीपुर)	शेखपुरा

- उपर्युक्त अंकित मोटरयान निरीक्षक सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं शुक्रवार को अतिरिक्त प्रभार वाले जिले का कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
- विभागीय आदेश सं. 322 दिनांक 18.01.2014, आदेश सं. 323 दिनांक 18.01.2014 एवं आदेश सं. 6397 दिनांक 11.12.2013 द्वारा श्री सिंह एवं श्री कुमार से संबंधित निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेश से मुक्त किया जाता है।
- श्री सुनील कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार शेखपुरा को आदेश दिया जाता है कि अपना योगदान प्रतिवेदन राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय बिहार, पटना में समर्पित करें।
- यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक

प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - 583

पटना, दिनांक 29/01/2014

प्रतिलिपि:- प्रमुंडलीय आयुक्त, पटना, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, लखीसराय, शेखपुरा, वैशाली(हाजीपुर), मुंगेर, जमुई एवं पटना/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय, शेखपुरा, वैशाली(हाजीपुर), मुंगेर, जमुई एवं पटना / श्री संजीव कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर/ श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई, सम्प्रति प्रतिनियुक्त मोटरयान निरीक्षक, महात्मा गांधी चेक पोस्ट, वैशाली (हाजीपुर)/ श्री सुनील कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय, पिता श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम+पोस्ट-मधुरापुर, दक्षिणी टोला,थाना-तेघड़ा/ प्रशाखा पदाधिकारी-3, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/14

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना